तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5207/2005/भरतपुर इन्दरसिंह बनाम दर्शन सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** उपस्थित– श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रार्थी श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 श्री रोडमल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 7 व 8 **निर्णय** **दिनांकः– 08–05–2019** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–8–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष लम्बित मूल वाद की कार्यवाही में वादीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को स्वीकार किया है। हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी की साक्ष्य समाप्त हो चुकी है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलोच्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण का उददेश्य मात्र प्रकरण में विलम्ब करना है। इसके अतिरिक्त वादीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उन्हें पूर्व से ही ज्ञान था। इस कारण वादी की साक्ष्य को पुनः चालू नहीं किया जा सकता। उनका आगे कहना है कि न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि क्रिमनल प्रोसीडिंग्स राजस्व न्यायालय की कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं है। उनका तर्क है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को पूर्व में उठाया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5207/2005/भरतपुर इन्दरसिंह बनाम दर्शन सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है एवं इस बाबत एफआईआर दर्ज होकर मामला सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है। अतः वादी पुनः उसी तथ्य को नहीं उठा सकता। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-8-2005 को निरस्त करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए निगरानी को खारिज होने योग्य बताया। उनका कहना है कि पी-102 एवं दिनांक 11-3-2004 को दर्ज किए गए बयान पर अंकित अंगूठा निशानी का मिलान करवाया जाना आवश्यक है। जिससें यह स्पष्ट हो सके कि उक्त कार्यवाही में किए गए अंगूठा निशानी एक ही व्यक्ति की है। उनका तर्क है कि उक्त कार्यवाही का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण हुए बिना प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश स्वीकार करने में न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस का समर्थन करते हुए प्रस्तुत आक्षेपित आदेश को न्यायसंगत बताकर प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया। हस्तगत प्रकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 से संबंधित है, जिसका सुसंगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5207/2005/भरतपुर इन्दरसिंह बनाम दर्शन सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधान निम्नानुसार हैः– "Opinions of experts - When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law, or of scienece or art, or as to identity of handwriting or finger- inpressions the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to indentity of handwriting or finger-impressions are relevant fact." प्रकरण का सम्यक विश्लेषण उपरान्त स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित आराजियात के क्रम में अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत एक वाद प्रार्थी/प्रतिवादी व अन्य प्रतिगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद की कार्यवाही के दौरान वादी द्वारा दिनांक 22–6–2004 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि इन्दरसिंह किसका पुत्र बन रहा है, इसलिए बयनामा प्रदर्श–पी 102 लगे इन्दरसिंह के अंगूठा निशान व अपने द्वारा दर्ज कराये गये बयान फार्म पर अंगूठा निशान का मिलान कराया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 23–8–2005 द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में विवेचित किया कि यह तथ्य सुसंगत है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। यह भी उचित है कि न्याय निर्णयन में यदि किसी भी प्रकार की मदद मिलती है तो उसे अपनाया जाना चाहिए। उभयपक्ष की बहस तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में एक बेचाननामा निष्पादित किया गया था, इस पर तत्समय अंगूठा निशानी अंकित की गई थी। जिन बयानों पर अंगूठा निशानी की गई, वह बयान भी इन्हीं आराजियात से संबंधित बयान है। इस प्रकार सन्दर्भित अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर की फिंगर	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/5207/2005/भरतपुर** **इन्दरसिंह बनाम दर्शन सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रिन्ट विशेषज्ञ से जांच करवाई जाती है तो किसी भी प्रकार के संदेह/आक्षेप का निवारण हो सकेगा। यह जांच रिपोर्ट आती है तो किसी भी पक्ष को कोई विधिपूर्ण हानि भी नहीं होगी। यह हस्ताक्षर व दस्तावेज वाद की विषयवस्तु व विवादित आराजियात से संबंधित है, जो प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में सहायक सिद्ध होगी। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग राजस्व न्यायालयों के संबंध में बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया जाता है कि फौजदारी कार्यवाही में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ से न तो जांच करवाई गई है तथा न ही जांच रिपोर्ट प्राप्त ही हुई है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी कामां का आदेश दिनांक 23-8-2005 को यथावत रखा जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मूल वाद वर्ष 1983 को दायर हुआ है तथा लगभग 36 वर्ष की अवधि में विचारण के प्रारम्भिक अवस्था में ही चल रहा है, यह एक सुखद स्थिति नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह मूल वाद में नजदीकी तारीख-पेशी दी जाकर विधिनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/5207/2005/भरतपुर** **इन्दरसिंह बनाम दर्शन सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए